न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 108/2025 G.C.M.S. No. 2025/657 दर्ज दिनांक : 01.10.2025

अपीलार्थी:

1. सुकीदेवी पत्नि होसाराम, जाति कलबी, निवासी जोड विराणा, तहसील सायला व जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. तेजाराम पुत्र हिमता, जाति कलबी, निवासी जोड विराणा, तहसील सायला व जिला जालोर।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, जसवंतपुरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जसवंतपुरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 47/2024 बअनवान तेजाराम बनाम सुकीदेवी वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.06.2025 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:-

1. श्री ओमप्रकाश चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जसवंतपुरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 47/2024 बअनवान तेजाराम बनाम सुकीदेवी वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.06.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में मातहत अदालत ने रेस्पोंडेण्ट्स संख्या–01 के प्रार्थना–पत्र को एज–ए–ट्रीट करते हुए पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय देने में कानूनी व वाक्याती भारी भूल की हैं, जिससे अपीलाण्ट व अन्य पक्षकारों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। अपीलाण्ट को मातहत अदालत द्वारा भेजे गये नोटिस की कभी जानकारी नहीं हुई, जिस कारण अपीलाण्ट को उक्त वाद की कभी जानकारी नहीं रही, जिस कारण अपीलाण्ट/प्रतिवादी अपनी पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सका। अपीलाण्ट को जानकारी नहीं होने एवं का फायदा उठाकर दिनांक 20.06.2025 को आदेशिका में लिखा गया कि पत्रावली आज ही पेश हुई, वकील वादी प्रकरण तथा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि विभाजन पस्ताव पर किसी भी पक्षकार द्वारा कोई उजर एतराज पेश नहीं किया गया है। अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की जाती हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जसवंतपुरा को निर्णय की पालना तहरीर जारी की जाती हैं। जिससे स्पष्ट है कि मूल वाद की तारीख पेशी के संबंध में अपीलाण्ट/प्रतिवादी को कभी जानकारी नहीं थीं, बिना जानकारी के अपीलाण्ट अपने मुकदमे की पैरवी हेतु अधिवक्ता को नियुक्त नहीं कर सका तथा अदालत मातहत ने रेस्पोंडेण्ट संख्या–01 से सांठ–गांठ कर, बिना अपीलाण्ट को सूचना/नोटिस दिये एवं अपीलाण्ट की जानकारी के बिना, अपीलाण्ट/प्रतिवादी की अनुपस्थिति लिखते हुए, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लिये बिना सीधे ही एकपक्षीय अन्तिम बहस सुनी जाकर जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। मातहत अदालत द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की भी अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं दी गई तथा ना ही तहसीलदार द्वारा दिये गये मौका रिपोर्ट में अपीलाण्ट को बुलाया गया तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में बनाये गये विभाजन प्रस्ताव पर भी अपीलाण्ट को नहीं बुलाया गया ना ही अपीलाण्ट के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ के निशान है। इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही एकतरफा की गई हैं। प्रार्थीया सीधी–सादी महिला है, जिनको उक्त विचाराधीन अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद की कोई जानकारी नहीं थीं व न ही उनको उक्त वाद में जारी कोई नोटिस प्राप्त हुए हैं। प्रार्थीया को जब उक्त अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी की उसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या–2 तहसीलदार जसवंतपुरा से उक्त अन्तिम निर्णय व डिक्री की पालना में मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत् भू.अभि.नि. एवं पटवारी मौके पर आये उस समय अदालत मातहत् द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, उससे पूर्व प्रार्थीया को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं। जानकारी प्राप्त होते ही प्रार्थीया द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 12.09.2025 किया, जो नकले दिनांक 16.09.2025 को प्राप्त होने पर अपील अंदर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अपीलांट के विरूद्ध वादग्रस्त संयुक्त आराजी के संबंध में एक वाद बाबत खातेदारी बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2025 को निर्णित व अंतिम डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया सीधी–सादी महिला है, जिनको उक्त विचाराधीन अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद की कोई जानकारी नहीं थीं व न ही उनको उक्त वाद में जारी कोई नोटिस प्राप्त हुए हैं। प्रार्थीया को जब उक्त अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी की उसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या–2 तहसीलदार जसवंतपुरा से उक्त अन्तिम निर्णय व डिक्री की पालना में मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत् भू. अभि.नि. एवं पटवारी मौके पर आये उस समय अदालत मातहत् द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, उससे पूर्व प्रार्थीया को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं। जानकारी प्राप्त होते ही प्रार्थीया द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 12.09.2025 किया, जो नकले दिनांक 16.09.2025 को प्राप्त होने पर अपील अंदर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की गैर मौजूदगी में एकपक्षीय पारित किया गया है तथा विलंब अपीलांट की लापरवाही या उदासीनता से कारित नहीं किया गया है। साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त होने के कारण माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि वादी रेस्पोंडेंट द्वारा वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी आराजी के विभाजन हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में अपीलांट प्रतिवादिया के विरूद्ध दिनांक 21.01.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्राथमिक डिक्री पारित की गई एवं तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा दिनांक 12.05.2025 को तैयार किया जाना अंकित है। विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादिया अपीलांट को सूचित किए जाने/बावजूद सूचना के उपस्थित या अनुपस्थित या हस्ताक्षर से इंकार आदि का कोई अंकन नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार द्वारा प्रतिवादिया अपीलांट को जारी नोटिस पर पटवारी रिपोर्ट के अंकन अनुसार नोटिस लेने से इंकार का अंकन है। लेकिन प्रथम तो उक्त नोटिस पर संबंधित तामील कुनिन्दा द्वारा रिपोर्ट नहीं कर पटवारी द्वारा किस हैसियत से रिपोर्ट की गई एवं पटवारी के सामने प्रतिवादिया द्वारा नोटिस लेने से किस दिनांक को किस स्थान पर व किस समय इंकार किया गया, का कोई अंकन नहीं है एवं न ही इस संबंध में कोई चश्मदीद गवाहान के हस्ताक्षर एवं नाम–पता अंकित है।

सहायक अपील प्राधिकारी
पाली

अतः स्पष्ट है कि संबंधित पटवारी द्वारा कार्यालय में बैठकर केवल वादी की उपस्थिति में नोटिस के संबंध में रिपोर्ट की गई। जो स्वीकार योग्य नहीं हैं तथा यह सुस्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा मौके पर उपस्थिति बाबत अपीलांट को कोई विधिवत नोटिस जारी नहीं किए गए तथा न ही नोटिस की विधिवत तामील करवाई गई। अतः तहसीलदार द्वारा मौके पर उपस्थित हुए बिना व अपीलांट सहखातेदार को सूचित किए बिना केवल वादी की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। जबकि इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 05.10.2020 के अनुसार तहसीलदार के लिए यह आज्ञापक है। अतः ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव विधिविरूद्ध व दूषित है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी उक्त दूषित विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। जो काबिल अपास्त है।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में सहखातेदारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया था। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा न तो सहखातेदार को सूचित किया गया एवं न ही मौके पर स्वयं उपस्थित हुए तथा न ही नियम 18 से 21 विशेषकर नियम 20 व 21 की पालना में मौके पर वास्तविक कब्जे काश्त आदि की कोइ जांच की गई एवं न ही विभाजन के लिए प्रस्तावित भूखंडों का सीमांकन आदि कर सीमांकन रिपोर्ट व नक्शें आदि तैयार किए गए। अतः विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की अनुपालना का अभाव पाया गया। लिहाजा, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत नहीं हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित होती हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध व दूषित होने से काबिल अपास्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जसवंतपुरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 47/2024 बअनवान तेजाराम बनाम सुकीदेवी वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.06.2025 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में संबंधित तहसीलदार से प्रभावित सहखातेदारान

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

को मौके पर उपस्थिति बाबत विधिवत नोटिस तामील करवाकर सूचित करवाते हुए तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 एवं 21 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पत्र दिनांक 05.10.2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की पालना में पुनः विहित प्रारूप में विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। संबंधित तहसीलदार वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेख की अपास्त निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2025 के ठीक पूर्व की स्थिति बहाल करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर जसवंतपुरा में दिनांक 20.07.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली